उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या-198/2018/2432/71-1-2018-जी-195/2015 टी०सी०-।।

लखनऊः दिनांक : 09 जुलाई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, जालौन, बदायू एवं झाँसी में विभिन्न विशिष्टताओं में रिक्त चिकित्सा शिक्षको के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2018/378, दिनांक 17-05-2018 द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय संलग्न सूची में उल्लिखित विवरण के अनुसार कुल 07 अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या-4661/71-1-2018-जी0-63/2008, दिनांक 15-12-2008, शासनादेश संख्या-909/71-1-2013-जी0-11/2011, दिनांक 11-04-2013 तथा शासनादेश संख्या-सी0एम0-03/71-1-2014-जी0-63/2008, दिनांक 22-01-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संविदा के आधार पर 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने जो भी पहले घटित हो, तक के लिए इस प्रतिबन्ध सहित नियुक्त/ तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2- यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त होने वाले चिकित्सा शिक्षक:-

1- ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगे।
2- प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगे
3- मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
4- प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगें।
5- निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
6- स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे।
7- संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं के हकदार नहीं होगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए बोनस पायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश दिनांक 22-01-2015 में प्राविधानित नियत वेतन देय होगा।

5- संविदा पर तैनात किये गये अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण, उनके शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी प्रमाणपत्रों/अर्हता के दस्तावेजों का सत्यापन महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ/संबंधित प्रधानाचार्य अपने स्तर से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

शमीम अहमद खान
विशेष सचिव।

संख्या-198/2018/2432/ (1) 71-1-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद,जालौन,बदायू एवं झाँसी ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद,जालौन,बदायू एवं झाँसी।
5- कोषाधिकारी , इलाहाबाद,जालौन,बदायू एवं झाँसी ।
6- संबंधित अभ्यर्थी/चिकित्सक।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-198/2018/2432/71-1-2018- जी-195/2015टी0सी0 II,

दिनांक 09 जुलाई, 2018 का संलग्नक:-

क्र0 सं0	विशिष्टता का नाम एवं पदनाम	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	श्रेणी	नियुक्ति हेतु प्रस्तावित मेडिकल कालेज का नाम
1.	रेडियोडायग्नोसिस (प्रवक्ता)	डा0 मुकेश चन्द्र पन्त, पुत्र श्री रमेश चन्द्र पन्त, पता-8/41, सी0वाई0 चिन्तामणि रोड, जार्ज टाउन, इलाहाबाद।	सामान्य	मेडिकल कालेज, इलाहाबाद
2.	ट्रामा सेन्टर एनस्थीसिया (प्रवक्ता)	डा0 इशिता घोष, पुत्री श्री प्रोवीर घोष पता-176/59 टैगोर टाउन, डा0ए0के0 सर मार्ग, इलाहाबाद	सामान्य	मेडिकल कालेज, इलाहाबाद
3.	ट्रामा सेन्टर, सामान्य सर्जरी (प्रवक्ता)	डा0 देवेन्द्र कुमार शुक्ला पुत्र श्री आर0एस0 शुक्ला, पता-110, जी0एच0ए0 शिवकुटी, इलाहाबाद	सामान्य	मेडिकल कालेज, इलाहाबाद
4.	एनेस्थीसिया (सह-आचार्य)	डा0 दिनेश कुमार साहू द्वारा प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, जालौन	अन्य पिछडा वर्ग	मेडिकल कालेज, जालौन
5.	माइक्रोबोयालॉजी (सह-आचार्य)	डा0 राजेश बरेजा पुत्र श्री ओम प्रकाश पता-294/23, डी0एल0एफ0, कालोनी रोहतक,	सामान्य	मेडिकल कालेज, बदायूँ
6.	एनाटमी (प्रवक्ता)	डा0 अमृता निधि, पुत्री श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, पता-वर्मा नर्सिंग होम, 99 खलियाना मानिक चौक, झाँसी	सामान्य	मेडिकल कालेज, झाँसी
7.	एनाटमी (प्रवक्ता)	सुश्री लक्ष्मी देवी पुत्री श्री जगदीश प्रसाद पता- म0नं0-20, सरकारी अस्पताल के सामने, जे0पी0 मेडिकल स्टोर, गंगारामपरु, मल्लावॉ जिला-हरदोई।	अन्य पिछड़ा वर्ग	मेडिकल कालेज, झाँसी

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in